FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0247   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 22/09/2025 18:39 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 19/09/2025   Date To (दिनांक तक): 20/09/2025

Time Period (समय अवधि): पहर 4   Time From (समय से): 14:00 बजे   Time To (समय तक): 09:45 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 22/09/2025   Time (समय): 17:20 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002   Date & Time (दिनांक एवं समय) 22/09/2025 18:39:08 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-WEST, 35 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): TEHSIL PARISAR, TEHSILDAR KA SARKARI AAWAS, NADBAI

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
   (a) Name(नाम): DEEPESH SOGARWAL
   (b) Father's Name (पिता का नाम): JASRAM
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1990 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
   (e) UID No(यूआईडी सं.):
   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) Occupation (व्यवसाय):
   (i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SOGAR, KUMHER, KUMHER, डीग, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SOGAR, KUMHER, KUMHER, डीग, RAJASTHAN, INDIA

   (j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):
   Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	VINOD KUMAR MEENA		पिता:BALVEER SINGH	1. TEHSILDAR,NADBAI,NADBAI,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):
9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	80000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा	80,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 80,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर विषय- रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने हेतु। महोदय, निवेदन है कि मैं दीपेश सोगरवाल जाति जाट निवासी सोगर पुलिस थाना कुम्हेर जिला डीग - भरतपुर मेरी जमीन ग्राम भदीरा में स्थित है जिसका खसरा नं. 1225, 4183/1222, 1224, 1231 है जो कि मेरे पापाजी के नाम व मेरे नाम पर है। मुझे मेरी जमीन से स्थगन आदेश हटवाना है व दाखिला खुलवाना है जिसके एवज में तहसील नदबई का पटवारी व तहसीलदार व तहसीलदार का रीडर 1,50,000 रूपये की रिश्वत मांग रहे हैं। पटवारी का नाम विष्णु व रीडर का नाम आकाश तथा तहसीलदार का नाम विनोद कुमार है। श्रीमान से निवेदन है कि मेरी इस प्रार्थना पत्र पर उनके खिलाफ कार्यवाही करने का श्रम करें। आपकी अति कृपा होगी। मैं उन्हे ट्रेप कराना चाहता हूं मेरा उक्त आरोपीगणों से कोई लेनदेन बकाया नही है और नाही कोई रंजिश है। एसडी प्रार्थी दीपेश सोगरवाल पुत्र श्री जसरामसिंह उम्र 35 जाति जाट निवासी सोगर कुम्हेर भरतपुर मो.नं.[redacted]दिनांक 19.09.25 एसडी अमित सिंह दिनांक 19.09.25 , एसडी दलीप सिंह दिनांक 20.09.25, एसडी दरबसिंह दिनांक 20.09.25 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 19.09.2025 को समय 02.00 पी.एम. पर परिवादी श्री दीपेश सोगरवाल पुत्र श्री जसराम सिंह उम्र 35 साल जाति जाट निवासी सोगर कुम्हेर भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की छायाप्रति के अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम संबोधित करते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को इस आशय की पेश की कि मैं दीपेश सोगरवाल जाति जाट निवासी सोगर पुलिस थाना कुम्हेर जिला डीग - भरतपुर मेरी जमीन ग्राम भदीरा में स्थित है जिसका खसरा नं. 1225, 4183/1222, 1224, 1231 है जो कि मेरे पापाजी के नाम व मेरे नाम पर है। मुझे मेरी जमीन से स्थगन आदेश हटवाना है व दाखिला खुलवाना है जिसके एवज में तहसील नदबई का पटवारी व तहसीलदार व तहसीलदार का रीडर 1,50,000 रूपये की रिश्वत मांग रहे हैं। पटवारी का नाम विष्णु व रीडर का नाम आकाश तथा तहसीलदार का नाम विनोद कुमार है। श्रीमान से निवेदन है कि मेरी इस प्रार्थना पत्र पर उनके खिलाफ कार्यवाही करने का श्रम करें। आपकी अति कृपा होगी। मैं उन्हे ट्रेप कराना चाहता हूं मेरा उक्त आरोपीगणों से कोई लेनदेन बकाया नही है और नाही कोई रंजिश है। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरे द्वारा हस्तलिखित है एवं तहरीरी रिपोर्ट पर मेरे हस्ताक्षर हैं । मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है फिर भी विभागीय प्रकिया अनुसार रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। तत्पश्चात रिश्वत रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय के मालखाना से श्री रवि कुमार हैडकानि. नं. 52 से निकलवाकर उसमें नया माईक्रो एसडी कार्ड डालकर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री दीपेश को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाकर उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री रवि कुमार हैडकानि. को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी श्री दीपेश को आरोपी के पास जाने से पूर्व अपना परिचय देकर चालू कर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी एवं श्री रवि कुमार हैडकानि. नं. 52 एव श्री राजेन्द्र कुमार को परिवादी की निजी कार से तहसील कार्यालय नदबई रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात श्री रवि कुमार हैड कानि. नं. 52 , श्री राजेन्द्र कानि. नं. 106 मय परिवादी श्री दीपेश के उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा उपस्थित कार्यालय आये। श्री रवि कुमार हैडकानि. से पूर्व से सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर को जरिए फर्द प्राप्त किया गया। परिवादी श्री दीपेश ने बताया कि मेरी जमीन का आर.ए.ए. कोर्ट भरतपुर से स्टे हटने के बाद म्यूटेशन खोलने की एवज में आज दिनांक 19.09.25 को मैं तहसीलदार विनोद मीना से मिला तो उन्होंने एक खाली कागज पर 1,00,000 रूपये लिखकर मांग की एवं मेरे द्वारा अधिक वजन बताने पर मुझसे स्वयं लिखने की कहा जिस पर मेरे द्वारा 70,000 रूपये लिखने पर तहसीलदारजी द्वारा 80,000 रूपये लिखकर रिश्वत की मांग की है जो आप द्वारा दिये गये वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई है। उक्त वार्तालाप मैने श्री रवि कुमार हैड साहब और श्री राजेन्द्र कुमार जी को भी बताई। मुझे तहसीलदार जी ने कल सुबह 09.00 बजे तक रिश्वत राशि 80,000 रूपये लेकर बुलाया है। अभी मेरे पास रिश्वत राशि की व्यवस्था नही है। कल मैं रिश्वत राशि की व्यवस्था कर सुबह 07.00 बजे आपके कार्यालय में आ जाउंगा। तत्पश्चात श्री रवि कुमार हैडकानि एवं श्री राजेन्द्र कुमार कानि द्वारा भी परिवादी के उक्त कथनों की

पुष्टि की गई। श्री रवि कुमार हैडकानि. से जरिये फर्द प्राप्तशुदा वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। इस पर वॉईस रिकॉर्डर को मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जावेगा। परिवादी को गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 20.09.25 समय- 06.30 ए.एम.- पर पूर्व से पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री दलीप सिंह एवं श्री दरबसिंह को जरिए मोबाइल कार्यालय में उपस्थित होने हेतु तलब किया गया। परिवादी दीपेश उपस्थित कार्यालय आया जिसने बताया कि मैं रिश्वत राशि की व्यवस्था करके ले आया हूं। जिसे कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात पूर्व से पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री दलीप सिंह एवं श्री दरबसिंह उपस्थित कार्यालय आए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना-अपना नाम क्रमशः श्री दलीप सिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह उम्र 38 साल जाति जाटव निवासी इब्राहिमपुर पुलिस थाना रूपवास जिला भरतपुर हाल सूचना सहायक आरटीओ ऑफिस भरतपुर , श्री दरबसिंह पुत्र श्री विजयसिंह उम्र 32 साल जाति जाटव निवासी नगला मई पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर हाल सूचना सहायक आरटीओ ऑफिस भरतपुर होना बताया जिनका कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री दीपेश से आपस में परिचय करवाकर ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराते हुए एवं परिवादी द्वारा दिनांक 19.09.25 को पेश की गई तहरीरी रिपोर्ट को दोनों गवाहों को पढने को दी गई एवं कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की स्वीकृति ली गई तो दोनो गवाहों ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति दी एवं प्रमाण स्वरूप परिवादी द्वारा पेश की गई तहरीरी रिपोर्ट पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात मौतबिरान के समक्ष मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री दीपेश पुत्र श्री जसराम जाति जाट उम्र 35 साल निवासी गाँव सोगर पुलिस थाना कुम्हेर जिला डीग से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 160 नोट (एक सौ साठ) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 80,000/-(अस्सी हजार) रूपये अपने पास से निकालकर मन अति. पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिसमें से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 के नोटो का विवरण निम्न प्रकार है:- 6VN770795 , 0UD003859 , 6GF651665 , 2EU563392 , 2DR561215 , 4EB289759 , 3FN957871 , 3AG812501 , 0GR272853 , 6NR909801 , 4QQ498442 , 9BG350591 , 3VU323069 , 5PD818244 , 6WU141277 , 4SN053031 , 0PA778274 , 5FC418256 , 3AK121132 , 0SE133246 , 8RQ538676 , 5BU184769 , 0GB250393 , 4WN184680 , 0BD836546 , 7BM909096 , 6EC937826 , 9CS410971 , 3WP737413 , 9KS313613 , 5TD504756 , 5HC967483 , 6ET812724 , 1LG840121 , 3GB699375 , 5AE037289 , 7UF046282 , 8EW612628 , 4RB994477 , 6CV576426 , 4AB530404 , 4NG860167 , 5RP122132 , 4CQ501450 , 4KC531197 , PD337447 , 4PL281748 , 7RB305971 , 8WD220864 , 6AT749811 , 0GF268899 , 3KL356862 , 6MS406096 , 7PT897160 , 1PK620132 , 1CW461775 , 5FD199104 , 5SS273539 , 1UN318003 , 1RC034621 , 4AH019639 , 4TA764097 , 8RP944101 , 2GB433477 , 1SB128370 , 9GK525469 , 4MS609093 , 2HC047695 , 5FU955740 , 6VD738017 , 6FM639268 , 5PB495162 , 3FF419146 , 8AM079078 , 1TN400978 , 6HB903469 , 7KF328385 , 8FG401710 , 7GP165926 , 6NR097077 , 6KQ114012 , 2FG687690 , 2BP172348 , 5BC399457 , 9VK558912 , 3LC689220 , 8VQ394749 , 6BV148862 , 8RH593451 , 7QE907564 , 4EM054510 , 7FA086703 , 2GU314687 , 2DP822641 , 0LV279659 , 5TN060652 , 4LV717076 , 4FG309252 , 7GC446018 , 8SA205704 , 4EC538788 , 4EC538787 , 5PU368166 , 4EC538783 , 0BN527462 , 8MF275336 , 8AM627543 , 9TM731232 , 5CC876309 , 4SQ962781 , 9AT799466 , 1DR781512 , 7KR403370 , 8HF326758 , 7FR642606 , 7GM119685 , 7KC412855 , 0BN527461 , 4GQ837534 , 4GQ837533 , 8EQ719545 , 1VF991287 , 9TN469297 , 2DR112592 , 6CB543846 , 4DN939815 , 3AF080547 , 8RH081413 , 5AP187751 , 3VD501611 , 3CB498593 , 6AG238171 , 7MM880972 , 5VA006691 , 0BP857679 , 3QR970725 , 4EK948311 , 0EV210874 , 7FQ669267 , 9NT220554 , 8TT403123 , 9BM646461 , 5DQ444812 , 7NA362248 , 3DU017578 , 5TB827539 , 5EM430084 , 9NT834581 , 4NG140782 , 0NV384978 , 3QM342296 , 6BA955172 , 3UE356668 , 9BK014581 , 6UA358425 , 3SB623411 , 0UU539956 , 4VM820626 , 1WQ672014 , 2RD098177 उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री रवि हैड कानि0 52 से मालखाना खुलवाकर श्री कपिल कुमार कानि. नं. 168 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री कपिल कुमार कानि0 168 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री दीपेश की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री दलीपसिंह से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 80,000/-रूपये के नोटों को श्री कपिल कानि0 168 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट बांयी तरफ

की सामने की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत देने की स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री दरबसिंह से कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री कपिल कुमार कानि. 168 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री कपिल कुमार कानि0 के माध्यम से मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। श्री कपिल कुमार कानि0 नं. 168 को बाद हिदायत कार्यालय में ही छोडा गया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात श्री रविकुमार हैड कानि0 52 मय श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 मय परिवादी दीपेश मय परिवादी की निजी कार से आगे-आगे रवाना कर उनके पीछे-पीछे श्री रीतराम सिंह स0उ0नि0 मय श्री रितेश कुमार कानि. नं. 64 , श्री उमाशंकर कानि. नं. 82 , श्री लोकेश कानि. नं. 85 , श्रीमती शगुन महिला कानि. न.ं 43 मय सरकारी गाडी बोलेरो से आगे-आगे रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय श्री दिलीप कानि. न.ं 610 , श्री परसराम कानि. नं. 203 मय ट्रेप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर , सरकारी डिजिटल वीडियो कैमरा , डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड को कार्यालय की आलमारी से निकालकर मय निजी कार के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु कस्बा नदबई रवाना हुआ। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के तहसील परिसर नदबई के पास पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा कर वॉइस रिकॉर्डर में नया एसडी कार्ड डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया समय 09.10 एएम पर परिवादी के मोबाईल नं[redacted] आरोपी के मोबाईल नं[redacted] कॉल आया कॉल को लाउडस्पीकर पर वॉईस रिकॉडर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात आरोपी से मिलने तहसील परिसर में स्थित आरोपी के आवास पर रवाना किया जाकर परिवादी के हमराह श्री रवि कुमार हैड कानि. एवं श्री राजेन्द्र सिंह कानि, व इनके पीछे पीछे श्री परसराम कानि0 को रवाना किया गया तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के तहसील परिसर के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खड़ा हो गया तत्पश्चात समय- 09.45 ए.एम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को परिवादी श्री दीपेश के नियत ईशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान एवं जाप्ता के तहसील परिसर में स्थित तहसीलदार निवास के बाहर पहुंचा जहां पर परिवादी श्री दीपेश उपस्थित मिला जिससे पूर्व में सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित कर अपने पास रखा। परिवादी ने मन अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि विनोद कुमार मीना तहसीलदार जी ने अभी अभी मेरे से रिश्वत के 80,000 रूपये लेकर के अपने आवास के कमरे में रख लिये हैं। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व हमराहीयान को साथ लेकर तहसीलदार निवास के अंदर प्रवेश किया तो जहां पर एक व्यक्ति खडा हुआ मिला जिस पर परिवादी श्री दीपेश ने बताया कि ये ही तहसीलदार जी विनोद कुमार मीना हैं जिन्होने अभी-अभी मेरे से रिश्वत के 80,000 रूपये लिये है। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय दिया तो आरोपी विनोद कुमार मीना को डिटेन कर पूछा गया तो बताया कि मैंने दीपेश से म्यूटेशन खोलने के एवज में 80,000 रूपये लिये थे। जो अंदर कमरे में रखे हुए ट्रोली में रखे हुए हैं। तत्पश्चात श्री उमाशंकर कानि. नं. 82 से विभागीय डिजिटल वीडियोकैमरे से वीडियोग्राफी चालू कर ट्रेपबॉक्स में से एक डिस्पोजल गिलास निकालकर गवाह श्री दलीप सिंह से गिलास व कटोरे को साफ पानी से धुलवाकर किचिन में लगी आर.ओ. मे से पानी मंगवाकर डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर गवाह दलीप सिंह से डलवाकर हिलवाया गया जो सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी विनोद कुमार मीना के दांहिने हाथ की अंगूठे व अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे सभी हाजरीन को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क आरएच 1 व आरएच 2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट

किया गया । तत्पश्चात पुनः ट्रेपबॉक्स में से एक डिस्पोजल गिलास निकालकर गवाह श्री दलीप सिंह से गिलास व कटोरे को साफ पानी से धुलवाकर किचिन में लगी आर.ओ. मे से पानी मंगवाकर डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर गवाह दलीप सिंह से डलवाकर हिलवाया गया जो सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी विनोद कुमार मीना के बांये हाथ की अंगूठे व अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क एलएच 1 व एलएच 2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया। तत्पश्चात परिवादी से रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि मुझसे तहसीलदारजी ने म्यूटेशन खोलने के पैसे लिये थे कितनी रिश्वत ली ये पूछने पर परिवादी ने कल इस सम्बंध में बात होना बताते हुए 80,000 रूपये लेना बताया जिसके बाद आरोपी तहसीलदार विनोद कुमार मीना से परिवादी से ली गई रिश्वत के सम्बंध के बारे मे पूछा तो बताया कि इनका म्यूटेशन खोलना था जो खोल दिया मैंने रूपये नही लिये ये रख के गये थे। इसके बाद आरोपी तहसीलदार विनोद मीना से रिश्वत राशि कहां रखी है पूछने पर कमरे में रखे हुए एक लाल रंग के ट्रोली बैग से रिश्वत राशि 80,000 रूपये निकालकर पेश की जो गवाह श्री दरबसिंह के पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात पुनः ट्रेपबॉक्स में से एक डिस्पोजल गिलास निकालकर गवाह श्री दलीप सिंह से गिलास व कटोरे को साफ पानी से धुलवाकर किचिन में लगी आर.ओ. मे से पानी मंगवाकर डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर गवाह दलीप सिंह से डलवाकर हिलवाया गया जो सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। ट्रेप बॉक्स से एक साफ रूई का फोया निकालकर उक्त घोल में रूई के फोये को डुबोकर ट्रोली बैग को अंदर से पुछवाकर रूई के फोये को उक्त घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क टीबी 1 व टीबी 2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया। तत्पश्चात उक्त ट्रोली बैग को एक सफेद कपडे थैली में रखकर शील्ड मौहर कर कपडे के थैले पर मार्क टीबी अंकित कर शील्ड मौहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं उपयोग में लिये गये रूई के फोये को सुखाकर एक कपडे के थैले में रखकर शील्ड मौहर कर कपडे के थैले पर मार्क आरएफ अंकित कर शील्ड मौहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात वीडियोग्राफी को बंद करवाया गया जिसकी फर्द एवं सीडी पृथक से तैयार की जावेगी। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही के लिए स्थान की उचित व्यवस्था नही होने से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय रिश्वती राशि मय आरोपी विनोद कुमार मीना मय ट्रोली बैग मय ट्रेप बॉक्स व अन्य साजो सामान के कार्यालय पंचायत समिति नदबई विकास अधिकारी कक्ष को खुलवाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री दरबसिंह के पास सुरक्षित रखी हुई राशि 80,000 रूपये का मिलान पूर्व में बनाई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो रिश्वत राशि हूबहू पाई गई। उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि 80,000 रूपये को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी से परिवादी के कार्य से सम्बंधित दस्तावेजात के बारे में पूछा तो बताया कि प्रार्थना पत्र कार्यालय में है और मैं इनका म्यूटेशन खोल दिया है जिसके दस्तावेज भी कार्यालय से मिल जाएंगे जिन्हे जरिए फर्द पृथक से जब्त किया जावेगा। तत्पश्चात परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कम्प्यूटर की सहायता से टेबल स्पीकर से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। आरोपी विनोद कुमार मीना तहसीलदार का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) अपराध श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द बरामदगी पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद संबंधित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अभियुक्त विनोद कुमार मीना पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति मीना उम्र 34 साल निवासी गॉव खेडिया पुलिस थाना मासलपुर जिला करौली हाल तहसीलदार तहसील नदबई जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री दीपेश की जमीन का आर.ए.ए. कोर्ट भरतपुर से स्टे हटने के बाद म्यूटेशन खोलने की एवज में दिनांक 19.09.25 को एक खाली कागज पर 1,00,000 रूपये लिखकर मांग करना एवं परिवादी द्वारा अधिक वजन बताने पर परिवादी से स्वयं लिखने की कहना जिस पर परिवादी द्वारा 70,000 रूपये लिखने पर आरोपी द्वारा 80,000 रूपये लिखकर रिश्वत की मांग करना एवं उक्त मांग के अनुशरण में आज दिनांक 20.09.25 को 80,000 रूपये लेते हुए रंगे हाथ पकडे जाने व रिश्वत राशि आरोपी विनोद कुमार के निवास से उनके ट्रौली बैग से बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर गवाहान की मौजूदगी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर शामिल

पत्रावली किया गया। तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री उमाशंकर कानि. नं. 82 द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी की विभागीय वीडियो कैमरा द्वारा कराई गई वीडियोग्राफी की तीन सीडी तैयार की जाकर सीडीयों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराये जाकर दो सीडीयों को सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर शील्ड मौहर किया जाकर मार्क 'वी' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं तीसरी सीडी को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। तत्पश्चात मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री दीपेश की जमीन के म्यूटेशन खोलने के लिए परिवादी द्वारा दिये गये मूल प्रार्थना पत्र मय आरएए कोर्ट भरतपुर का स्टे वैकेट आदेश की प्रमाणित छायां प्रति दस्तावेज सं. 01 लगायत 13 एवं परिवादी की जमीन का म्यूटेशन खुलने के बाद नामान्तरण प्रपत्र पी-21 की प्रमाणित प्रति श्री अतरसिंह हाल ऑफिस कानूनगो तहसील नदबई जिला भरतपुर ने पेश की । मूल प्रार्थना पत्र मय आरएए कोर्ट भरतपुर के स्टे वैकेट की प्रमाणित प्रति जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर सम्बंधितों हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल ही कब्जा एसीबी लिया गया एवं प्रपत्र पी-21 की प्रमाणित प्रति पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद अवलोकन उक्त दस्तावेजात को कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द जब्ती रिकॉर्ड पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी विनोद कुमार मीना मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय जाब्ता मय शील्डशुदा रिश्वत राशि 80,000 रूपये मय धोवन की शील्ड शीशियां कुल 06, एक शील्ड ट्रोली बैग मय शील्डशुदा वीडियोग्राफी की सीडी कुल 02 एवं एक अनशील्ड सीडी , डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी एवं प्राइवेट वाहनों के एसीबी चौकी भरतपुर के लिए रवाना होकर एसीबी चौकी भरतपुर पहुंचा जहां जब्तशुदा रिश्वत राशि 80,000 रूपये एवं धोवन की शील्ड शीशियां कुल छः , एक शील्ड ट्रोली बैग , शील्डशुदा वीडियोग्राफी की सीडी कुल 02 को मुताबिक फर्दात के मालखाना प्रभारी अतिरिक्त चार्ज श्री रवि कुमार हैडकानि नं. 52 को दुरूस्त हालत में सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय श्री उमाशंकर कानि., श्री राजेन्द्र कानि. मय गिरफ्तारशुदा आरोपी विनोद कुमार मीना मय सरकारी गाडी के वास्ते कराने आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सालय आरबीएम भरतपुर रवाना किया गया। तत्पश्चात श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय श्री उमाशंकर कानि., श्री राजेन्द्र कानि. मय गिरफ्तारशुदा आरोपी विनोद कुमार मीना मय सरकारी गाडी के बाद कराकर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सालय आरबीएम भरतपुर से वापस आया एवं आरोपी को कार्यालय में जाब्ता की निगरानी में बिठाया गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री रवि कुमार हैड कानि. मय श्री उमाशंकर कानि., श्री रितेश कुमार कानि. मय गिरफ्तारशुदा आरोपी विनोद कुमार मीना मय सरकारी गाडी के वास्ते लेने 15 दिवस की न्यायिक अभिरक्षा माननीय न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भरतपुर के आवास पर रवाना हुआ। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री रवि कुमार हैड कानि. मय श्री उमाशंकर कानि., श्री रितेश कुमार कानि. मय गिरफ्तारशुदा आरोपी विनोद कुमार मीना मय सरकारी गाडी के बाद लेकर 15 दिवस की न्यायिक अभिरक्षा माननीय न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भरतपुर के आवास से वापस चौकी आया एवं आरोपी को जाब्ता की निगरानी में बिठाया गया। तत्पश्चात वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.09.25 के माईक्रो एसडी कार्ड को कार्यालय की अलमारी से निकालकर वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात परिवादी दीपेश व आरोपी विनोद कुमार तहसीलदार तहसील नदबई जिला भरतपुर के मध्य हुई सत्यापन वार्ता दिनांक 19.09.25 जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड है, को कार्यालय के कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद तैयार किया गया। सीडी की और दो सीडी तैयार की गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " एम " अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी अतिरिक्त चार्ज श्री रवि कुमार हैड कानि0 52 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय श्री लोकेश कुमार कानि0 , राजेन्द्र कानि0 मय गिरफ्तार शुदा आरोपी विनोद कुमार मीणा मय 15दिवस न्यायिक अभिरक्षा आदेश मय सरकारी बोलेरो के वास्ते कराने जेल दाखिल रवाना केन्द्रीय कारागृह सेवर, भरतपुर किया गया। तत्पश्चात श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय श्री लोकेश कुमार कानि0 , राजेन्द्र कानि0 के बाद कराकर जेल दाखिल आरोपी विनोद कुमार

मीणा को केन्द्रीय कारागृह सेवर, भरतपुर से वापस चौकी आया। तत्पश्चात समय वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 19.09.25 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात परिवादी दीपेश व दोनां स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 21.09.25 को समय 08.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 21.09.25 समय- 08.35 ए.एम पर इस समय पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी दीपेश व दोनां स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आये जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 20.09.25 के माईक्रो एसडी कार्ड को वॉईस रिकॉडर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है, से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात परिवादी दीपेश से दौराने ट्रेप कार्यवाही प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी व आरोपी विनोद कुमार मीना तहसीलदार तहसील नदबई के मध्य हुई वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता वार्तालाप रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी में अनुवाद तैयार किया गया। सीडी की और दो सीडियॉं तैयार की गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रतियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " बी " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडियों को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "एम 1" अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी अतिरिक्त चार्ज श्री रवि कुमार हैड कानि0 68 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात इस समय वक्त रिश्वत लेन देन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 20.09.25 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावल्नी किया गया। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 72 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री दलीप सिंह को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी विनोद कुमार मीना तहसीलदार तहसील नदबई जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री दीपेश की जमीन जो गांव भदीरा में स्थित है जिसका खसरा नं. 1225, 4183/1222, 1224, 1231 है जो कि परिवादी एवं परिवादी के पिताजी के नाम पर है उक्त जमीन से स्थगन आदेश हटाने व दाखिला खोलने की एवज में तहसीलदार तहसील नदबई द्वार दिनांक 19.09.25 को एक खाली कागज पर 1,00,000 रूपये लिखकर रिश्वत की मांग करना एवं परिवादी के निदेवन करने पर 80,000 रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना एवं उक्त मांग के अनुशरण में आज दिनांक 20.09.25 को 80,000 रूपये लेते हुए रंगे हाथ पकडे जाने व रिश्वत राशि 80,000 रूपये को आरोपी विनोद कुमार के निवास से उनके ट्रौली बैग से बरामद होने का उक्त कृत्य धारा धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अतः आरोपी विनोद कुमार मीना पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति मीना उम्र 34 साल निवासी गॉव खेडिया पुलिस थाना मासलपुर जिला करौली हाल तहसीलदार तहसील नदबई जिला भरतपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है। (अमित सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर। ....कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिंह अति.पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री विनोद कुमार मीना पुत्र श्री बलवीर सिंह उम्र 34 साल निवासी गांव खेडिया पुलिस थाना मासलपुर जिला करौली हाल तहसीलदार तहसील नदबई जिला भरतपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 398 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1405-08 दिनांक 22.09.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः- 1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर, 2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर 3-उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

करौली, पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JAGDISH BHARDWAJ **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb Impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: [illegible]/2025

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1991				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान) Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	Others (अन्य)
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)